WESTERN U.P. CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRY

MASIK PATRIKA

MARCH 2023

Address- **WESTERN U.P. CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY**

BOMBAY BAZAR, NEAR HANUMAN CHOWK, MEERUT CANTT- 250001 (U.P.) INDIA

Phone No. 0121- 2661238, 2661177; **Fax: 0121-4346686**

E-mail:wupcc@rediffmail.com **Website:**www.wupcc.org

- **Patron**
  Dr. Mahendra Kumar Modi
- **President**
  Dr. Ram Kumar Gupta
- **Sr. Vice President**
  Shri G.C. Sharma
- **Jr. Vice President**
  Shri Lokesh Kumar Singhal, Hapur
  Shri Neel Kamal Puri, Muzaffarnagar
- **Secretary / Editor**
  Smt Sarita Agarwal

Patrika Committee

- **Chairman**
  Shri Rahul Das
- **Co-Chairman**
  Shri Sushil Jain
- **Members**
  Shri Manoj Kumar Gupta (Hapur)
  Shri Rakesh Kohli
  Shri Trilok Anand
  Shri Rajendra Singh
  Shri Atul Bhushan Gupta
- **Co-Editor**
  Mr. Prashant Kumar

INDEX

- एमएसएमई का भुगतान रोकना होगा मुश्किल
- अब सिर्फ पांच दिन में हो जाएगा पासपोर्ट का ऑनलाइन सत्यापन
- सीबीडीटी ने अधिसूचित किए आयकर रिटर्न से जुड़े फार्म
- वित्त वर्ष 2022-23 के लिए आयकर फार्म जारी
- समय पर भरे 2019-20 का अपडेटेड रिटर्न, नहीं तो लगेगा अतिरिक्त कर
- आयकर विभाग बताएगा नई या पुरानी कर व्यवस्था में कौन अच्छी
- स्काडा -फॉल्ट से गुल नहीं होगी बत्ती, दूसरे फीडर से होगी आपूर्ति
- दिसम्बर तक एकल खिड़की व्यवस्था से जुड़ेंगे सभी राज्य, केंद्रशासित प्रदेश और 32 सरकारी विभाग
- माह के अंत में शुरू हो जाएँगे रीवेम्प योजना से जुड़े कार्य
- मेडा हो गया मेरठ विकास प्राधिकरण
- भू - उपयोग परिवर्तन पर स्टांप ड्यूटी होगी ख़त्म
- सात विभागों की एनओसी सेवा होगी उपलब्ध
- Textile Park to come up in Lucknow under PM MITRA scheme
- Noida Airport cargo hub aims to unlock logistics potential of Western UP
- Union Budget FY24 has given impetus to fund-starved sector: MSME Secy Swain
- MSME Ministry possess no data of raw material price effect on MSMEs
- Nipro PharmaPackaging is now Great Place to Work certified!!
- PM Modi reminds banks of their duty to provide adequate finance to MSMEs promised under budget

एमएसएमई का भुगतान रोकना होगा मुश्किल

नय वित्त वर्ष 2023-24 से एमएसएमई का भुगतान रोकना महंगा पड़ेगा। बजट में प्रस्तावित बदलाव के मुताबिक किसी भी एमएसएमई का भुगतान रोकने पर खरीदार को इनकम टैक्स में नुकसान उठाना पड़ेगा। अभी एमएसएमई की सबसे बड़ी समस्या भुगतान में देरी की है, जिससे एमएसएमई के पास कार्यशील पूंजी की कमी हो जाती है और कई बार उन्हें ऑर्डर तक रद करने पड़ते है। बजट में इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 43बी में बदलाव का प्रस्ताव किया गया है, जिसके मुताबिक एमएसएमई से माल खरीदने पर उन्हें तय समय मे भुगतान करना होगा। यह अवधि 45 दिन की हो सकती है या अवधि को लेकर कोई समझौता नहीं होने पर 15 दिनों के अंदर भी भुगतान करना पड़ सकता है तय समय में भुगतान नहीं होने पर खरीदार अपने खर्च का लाभ इनकम टैक्स में नहीं ले सकेगा और उस राशि को खरीदार के इनकम में जोर दिया जाएगा। हालांकि सेक्शन 43बी के तहत ईएसआइ और पीएफ जैसे भुगतान में देरी होने पर भी उस राशि का लाभ इनकम टैक्स में लिया जा सकेगा। यह नियम सभी पर लागू होगा। इसलिए सभी माइक्रो और स्माल इंटरप्राइजेज को अन्य सभी माइक्रो व स्माल इंटरप्राइजेज को समय पर भुगतान करना चाहिए। ऐसा नहीं करने पर उन्हें अधिक टैक्स देना होगा। उन्होंने कहा कि अभी जीएसटी कानून के तहत यह नियम है कि 180 दिनों के भीतर सप्लायर को भुगतान नहीं करने पर खरीदार से जीएसटी इनपुट क्रेडिट ब्याज के साथ वापस लिया जा सकता है।

मार्च 2024 तक बन जायँगी सिंगल बिजनेस आइडी

उधोग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआइआइटी)के सचिव अनुराग जैन ने बताया कि पैन नंबर को सिंगल बिजनेस आइडी बनाने का काम वर्ष 2024 के मार्च तक पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्यो के साथ भी पैन को सिंगल बिज़नेस आइडी के रूप में विकसित करने को लेकर केंद्र के साथ हुई बैठक में सहमति बन चुकी है अभी कारोबारियों के पास दर्जन भर से अधिक आइडी होते है। इनमे ईपीएफओ, टिन, टैन, जीएसटीएन प्रमुख है। सिंगल आइडी के इस्तेमाल से ही उधमी सिंगल विंडो सिस्टम में लॉगइन कर सकेंगे या किसी भी सरकारी एजेंसी तक अपनी पहुंच बना सकेंगे।

अब सिर्फ पांच दिन में हो जाएगा पासपोर्ट का ऑनलाइन सत्यापन

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि पासपोर्ट बनवाने के लिए पुलिस सत्यापन में अब 15 दिन का समय नहीं लगेगा, बल्कि मात्र पांच दिन में ही आनलाइन माध्यम से सत्यापन हो जाएगा। दिल्ली पुलिस के 76वें स्थापना दिवस पर किंग्सवे कैंप में आयोजित समारोह में परेड की सलामी लेने के बाद शाह ने पासपोर्ट सत्यापन की पूर्णतया आनलाइन सुविधा का लोकार्पण किया। कार्यक्रम में सिविल लाइंस थाने को बेस्ट पुलिस स्टेशन का पुरस्कार दिया गया।

अमित शाह ने इस अवसर पर दिल्ली पुलिस में शामिल किए गए मोबाइल फोरेंसिक वाहनों को भी जनता को समर्पित किया। उन्होंने नेशनल फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी (एनएफएसयू) के दिल्ली कैंपस के शैक्षणिक संकुल का भी लोकार्पण किया। पुलिसकर्मियों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि लोगों के लिए समय काफी कीमती है। इसे देखते हुए दिल्ली में मोबाइल टैबलेट द्वारा पासपोर्ट एप्लीकेशन सत्यापन सुविधा की शुरुआत की गई है।

अब मोबाइल टैबलेट से पासपोर्ट के लिए पुलिस सत्यापन किया जाएगा, जिससे पांच दिन में ही आनलाइन पुलिस सत्यापन हो जाएगा। इसके लिए अब लोगों को कहीं जाना नहीं पड़ेगा। अमित शाह ने कहा कि सिर्फ दिल्ली में ही औसतन रोजाना दो हजार से ज्यादा पासपोर्ट के आनलाइन आवेदन प्राप्त हो रहे हैं। आनलाइन सत्यापन होने से लोगों की सुविधाएं बढ़ेंगी और उनकी दिक्कतें कम होंगी।

गृह मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सरकार आने वाले दिनों में आइपीसी,सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट में आमूलचूल परिवर्तन करने जा रही है। इन कानूनों को समय और संविधान की भावना के अनुकूल बनाने के साथ-साथ आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए फोरेंसिक और अन्य साक्ष्यों की उपलब्धता के साथ और मजबूत बनाया जाएगा। ऐसा करने के लिए देशभर में फोरेंसिक साइंस के नेटवर्क को फैलाना होगा। उन्होंने कहा कि इनमें से एक सुधार का दिल्ली पुलिस ने ट्रायल भी शुरू कर दिया है।

छह वर्ष और इससे ज्यादा सजा वाले हर अपराध में फोरेंसिक साइंस टीम विजिट को अनिवार्य किया जा रहा है। अत्याधुनिक सुविधाओं और अलग-अलग प्रकार की 14 फोरेंसिक किट से

युक्त ये वाहन जब क्राइम सीन पर जाएगा तब सजा दिलवाने के लिए दोष सिद्धि दर में बहुत वृद्धि होगी। इसके लिए प्रशिक्षित मैनपावर और फोरेंसिक साइंस के क्षेत्र में विशेषज्ञ युवा चाहिए। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश के नौ राज्यों में नेशनल फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी (एनएफएसयू) के कैम्पस की स्थापना की जा चुकी है और अगले दो वर्षों में देश के सभी राज्यों में एनएफएसयू के कैम्पस खोले जाएंगे।

ऑनलाइन सत्यापन होगा पेपरलेस और सुविधाजनक

दिल्ली में पहले 14 दिनों में पुलिस सत्यापन करने की समय सीमा निर्धारित थी। इसमें सत्यापन के लिए आवेदन प्राप्त होने के बाद स्थानीय थाने का पुलिस कर्मी आवेदक के घर जाता था। इसके बाद वह रिपोर्ट तैयार करता था, फिर इसे आफलाइन मोड में भेजता था। इस पूरी प्रक्रिया में दो सप्ताह से अधिक का समय लगता था। अब नई प्रक्रिया में तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। यह पूरी प्रक्रिया पेपरलेस होगी। विदेश मंत्रालय द्वारा बनाए गए एप को टैब में डाला जाएगा।

SANGAL PAPERS LTD.

Manufacturing Papers Based on Customer Needs

Newsprint Paper, Superior Kraft Paper, Construction/Pastel Paper, Envelope Grade Paper, Ribbed Kraft Paper, High Bulk Paper Writing/Printing Paper, MG poster Grades & Other Specialized Grades Paper

Regd. Office/ Works
Village Bhainsa, 22 Km.
Meerut-Mawana Road, Mawana
Ph.: 01233-271137, 271464, 271515, 274324

सीबीडीटी ने अधिसूचित किए आयकर रिटर्न से जुड़े फार्म

वित्त वर्ष 2022-23 या आकलन वर्ष 2023-24 के लिए नए आयकर रिटर्न फार्म को अधिसूचित कर दिया गया है। साथ ही रिटर्न भरने की पुष्टि करने वाले फार्म (पावती पत्र) को भी अधिसूचित किया गया है। खास बात यह है कि केंद्रीय प्रत्यक्षकर बोर्ड (सीबीडीटी) दूवारा व्यक्तियों, पेशेवरों और व्यवसायियो को ध्यान में रखकर जारी किए गए छह आयकर रिटर्न फार्मो में कोई महत्वपूर्ण बदलाव नहीं किया गया है वैसे तो सीबीडीटी रीटर्न फार्म को हमेशा वित्त वर्ष की शुरूआत में अधिसूचित किया जाता है, लेकिन इस बार नया वित्त वर्ष शुरू होने से पहले ही अधिसूचित कर दिया गया है बड़ी संख्या में छोटे और मध्यम करदाताओं के उपयोग वाले आइटीआर-1 और आइटीआर-4 को पहले से सरल किया गया है।

सन्शोधित मानदंडो के अनुसार, जिन व्यक्तियों के खिलाफ कर अधिकारियों ने तलाशी या जब्ती की कार्रवाई की है,वे अब आइटीआर-1 में अपनी अघोषित संपत्ति के स्व-मूल्यांकन के आधार पर धारा 153सी के तहत सन्शोधित रिटर्न दाखिल कर सकते है। सीबीडीटी ने धारा 139(1) के तहत प्रकटीकरण के संबंध में आइटीआर-1 फार्म में भी कुछ बदलाव किए है। यह फार्म 2.5 लाख रुपये से कम की वार्षिक कर योग्य आय वाले व्यक्तियों की तरफ से स्वेच्छा से दायर किया जाता है प्रकटीकरण के संबंध में बदले गए नियमो के तहत अब इन व्यक्तियों को अपने रिटर्न फार्म से सूचित करने की जरूरत नहीं हो, भले ही उनकी सावधि जमा (फ़िक्सड डिपाजिटी) एक करोड़ से अधिक हो।

- छह आयकर रिटर्न फर्मो में कोई महत्वपूर्ण बदलाव नहीं
- आइटीआर-1 और आइटीआर-4 को पहले से सरल बनाया

ANAMIKA UDYOG

MANUFACTURES OF:

SURGICALS DRESSINGS

Address: 61/1, Madhuban Colony, Baghpat Road, Meerut-250002

E-mail: anamikaudyog@hotmail.com

Mobile No.: 9837031861, 9927025661

वित्त वर्ष 2022-23 के लिए आयकर फार्म जारी

आयकर विभाग ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए व्यक्तियों और व्यवसायों हेतु आईटीआर भरने के लिए फार्म को अधिसूचित किया है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने 10 फरवरी की तारीख वाली एक अधिसूचना के माध्यम से आईटीआर फार्म को अधिसूचित किया है। वित्त मंत्रालय ने इसके तहत सात आईटीआर फार्म अधिसूचित किए है। पिछले साल के फार्म और इस बार के फार्म में कोई अहम बदलाव नहीं किए गए है। ऐसे में आयकर रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तिथि 31 जुलाई ही है। बड़ी संख्या में छोटे और माध्यम करदाताओं के उपयोग वाले आईटीआर -1 और आईटीआर -4 पहले से सरल कर दिए गए है। सहज फार्म 50 लाख तक की आय के लिए रिटर्न दाखिल करने के लिए होते है। इसे आईटीआर फार्म- 1 भी कहा जाता है।

समय पर भरे 2019-20 का अपडेटेड रिटर्न, नहीं तो लगेगा अतिरिक्त कर

चालू वित्त वर्ष खत्म होने में करीब एक महीने ही बचे हैं और 31 मार्च, 2023 आयकर रिटर्न (आईटीआर) भरने की आखिरी तारीख है। अगर आपने किसी वजह से वित्त वर्ष 2019-20 का आईटीआर अब तक नहीं भरा है या उसमें किसी आय की जानकारी देना भूल गए हैं तो 31 मार्च तक अपडेटेड आईटीआर (आईटीआर-यू) जरूर दाखिल कर लें।

संबंधित आकलन वर्ष खत्म होने के 24 महीने के भीतर अपडेटेड आईटीआर भरना होता है। इसके लिए कुछ नियम एवं शर्तें हैं। 31 मार्च, 2023 तक अपडेटेड रिटर्न भरने पर जुर्माना और शुल्क नहीं लगता है। लेकिन, आयकर कानून की धारा 140बी के तहत अतिरिक्त कर देना पड़ता है। अगर किसी आयकरदाता की नियमित आय है और यह कर के दायरे में आती है तो रिटर्न भरना जरूरी है। फिलहाल सालाना 2.5 लाख रुपये तक की आय करमुक्त है। इससे ज्यादा की आय पर कर चुकाना पड़ता है।

दाखिल नहीं किया तो झेलना होगा नुकसान

अपडेटेड रिटर्न दाखिल करने के लिए आपको उस आईटीआर फॉर्म का इस्तेमाल करना होगा, जिसे आयकर विभाग ने संबंधित आकलन वर्ष के लिए अधिसूचित किया है।

- अगर आप रिटर्न दाखिल नहीं करते हैं तो वर्तमान वित्त वर्ष के नुकसान को कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकेंगे।

चुकाना होगा 50 फीसदी तक अतिरिक्त कर

संबंधित आकलन वर्ष खत्म होने के 12 माह में अगर आप अपडेटेड आईटीआर भरते हैं तो बचे हुए टैक्स पर आपको अतिरिक्त 25% कर चुकाना होगा। यही काम संबंधित आकलन वर्ष खत्म होने के 24 महीने के अंदर करने पर अतिरिक्त 50% कर का भुगतान करना पड़ेगा।

- इसका मतलब है कि वित्त वर्ष 2019-20 का अपडेटेड रिटर्न भरने पर आपको अतिरिक्त 50% कर चुकाना होगा। वित्त वर्ष 2019-20 का आकलन वर्ष 2020-21 होगा।
- 31 मार्च, 2023 है वित्त वर्ष 2019-20 के लिए रिटर्न भरने की आखिरी तिथि।

ऐसे कर सकते हैं कर की गणना

कुल कर देनदारी की गणना के लिए जरूरी है कि आपको जितना कर चुकाना है, उसे ब्याज, देरी से रिटर्न भरने पर लगने वाले शुल्क और अतिरिक्त कर के साथ जोड़ लें।

- कुल जोड़ के बाद जितनी रकम आएगी, वही आपकी कुल कर देनदारी होगी।
- शुद्ध कर देनदारी की गणना के लिए कुल देनदारी (उपरोक्त) में से टीडीएस/टीसीएस/अग्रिम कर/कर छूट को घटा लें। इस गणना के बाद जो राशि आएगी, वही आपकी शुद्ध कर देनदारी होगी।

तो भरना पड़ सकता है जुर्माना

अगर आप 31 मार्च, 2023 तक अपडेटेड रिटर्न नहीं भरते हैं तो कुल कर देनदारी पर अतिरिक्त कर के साथ आयकर विभाग जुर्माना भी लगा सकता है। यह जुर्माना आकलित कर का कम-से-

कम 50 फीसदी और अधिकतम 200 फीसदी हो सकता है। इसके अलावा, आयकर विभाग अत्यधिक और उच्च मूल्य वाले मामलों में कार्रवाई भी कर सकता है। -अतुल गर्ग, चार्टर्ड अकाउंटेंट

आयकर विभाग बताएगा नई या पुरानी कर व्यवस्था में कौन अच्छी

आयकर विभाग ने अपनी वेबसाइट पर टैक्स कैलकुलेटर की नई सुविधा शुरू की है। इससे आयकरदाता अब यह पता लगा सकेंगे कि उनके लिए नई या पुरानी कर व्यवस्था में से कौन सी अच्छी है। दरअसल, ज्यादातर लोग अब भी इन दो कर व्यवस्थाओं के कारण भ्रम की स्थिति में हैं। इसके चलते सलाहकारों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। इस कैलकुलेटर की मदद से लोगों को दोनों कर व्यवस्थाओं में टैक्स देनदारी के बारे में आसानी से पता चल सकेगा और इसके जरिए वे यह फैसला कर सकेंगे कि वे कौन सी व्यवस्था को चुनें। नई व्यवस्था में बदलाव वित्त वर्ष 2023-24 से लागू करने का प्रस्ताव है। इसमें छूट को 5 लाख से बढ़ाकर 7 लाख करना व स्टैंडर्ड डिडक्शन की अनुमति शामिल है।

वेबसाइट पर दी गई है पूरी जानकारी

पुरानी व्यवस्था के कॉलम में आपको वह सभी जानकारी देनी होगी, जो कटौती के योग्य है। उधर, नई व्यवस्था में केवल कुल आय और स्टैंडर्ड डिडक्शन की जानकारी मुहैया करानी होगी। अंत में आपको इस टैक्स कैलकुलेटर से यह पता चल सकेगा कि नई और पुरानी कर व्यवस्था में से आपके लिए कौन सी व्यवस्था अच्छी है। इस आधार पर आप अपनी पसंदीदा व्यवस्था का चयन कर सकते हैं।

HANS ENGINEERING WORKS

Dealing in:
Farm Machinery
72/A, "Hans Chopla" Suraj Kund Road, Meerut
Mobile: 9557066066, 9045333332
Email: hansenggworks@gmail.com, info@hansenggworks.com
Website: www.hansenggworks.com

ऐसे काम करेगा कैलकुलेटर:

कैलकुलेटर पहले कुल वेतन (दोनों व्यवस्था के तहत छूट वाले भत्ते काटने के बाद) से कटौती योग्य/छूट राशि (स्टैंडर्ड डिडक्शन को छोड़कर) जिसकी नई व्यवस्था में अनुमति नहीं है, वेतन और विशेष आयकर दर, ब्याज के अलावा अन्य आय के बारे में जानकारी मांगेगा। इसके लिए आपको आयकर विभाग की वेबसाइट के होम पेज पर जाकर टैक्स कैलकुलेटर को चुनना होगा। फिर इसमें आपके सामने नई और पुरानी दोनों कर व्यवस्था का कॉलम होगा। इसमें आकलन वर्ष और वित्त वर्ष से लेकर अपनी पूरी व्यक्तिगत जानकारी देनी होगी। इसके साथ कुल वेतन, अन्य साधनों से कमाई की जानकारी भी देनी होगी।

स्काडा -फॉल्ट से गुल नहीं होगी बत्ती, दूसरे फीडर से होगी आपूर्ति

करीब चार हजार करोड़ से मेरठ के साथ गाज़ियाबाद और नोएडा की बिजली आपूर्ति सुधरेगी। पहले चरण में मेरठ, इसके बाद गाज़ियाबाद और नोएडा में स्काडा सिस्टम लागु होगा। प्रदेश सरकार को भेजे प्रस्ताव पर सरकार की मुहर लगाने और बजट जारी होने का इंतजार है। स्काडा सिस्टम लागू होते ही तीनो शहरो को बिजली ट्रिपिंग व कटौती से छुटकारा मिल जाएगा। फाल्ट के कारण एक तरफ से बिजली आपूर्ति गुल हुई तो स्काडा सिस्टम में दूसरी तरफ से बिजली आपूर्ति ऑटोमैटिक जुड़ जाएगी।

M.J. INTERNATIONAL

Manufacturers & Exporters of:

Sports Goods & Sportswear

A-5 Sports Complex, Delhi Road, Meerut- 250002

Ph. No.: 0121-2522338, 2403730

Mob. No.: 9719023444

यह होगा

शहर में ट्रिपिंग रहित निबार्ध बिजली आपूर्ति देने के लिए इलेक्ट्रिकल स्काडा सिस्टम लागू होगा। इस सिस्टम में शहर में बड़े स्तर पर बिजली इंफ्रास्ट्रक्चर की क्षमता बढ़ाई जाएगी। सिस्टम लागू करने के लिए बिजली इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड किया जाएगा। इलेक्ट्रिकल स्काडा सिस्टम के अनुसार ऑनलाइन निगरानी तंत्र विकसित किया जाएगा। शहर की विधुत आपूर्ति व वितरण प्रणाली को निगरानी के लिए मेरठ में एकीक्रत कमांड व कंट्रोल रूम बनाया जाएगा। कम्प्यूटरीकृत नेटवर्क प्रणालीसे सभी उपकेंद्रों को इससे जोड़ा जाएगा।

मेरठ के साथ गाज़ियाबाद और नोएडा चयनित

तत्कालीन एमडी अरविंद मल्लप्पा बंगारी ने पश्चिमांचल के प्रमुख शहरो की बिजली आपूर्ति सुधार के लिए प्रस्ताव तैयार कर प्रदेश सरकार को भेजा था। करीब चार हजार करोड़ के प्रस्ताव में मेरठ के साथ गाज़ियाबाद और नोएडा को बिजली स्काडा सिस्टम के लिए चयनित किया था। शासन से प्रस्ताव स्वीकृति के साथ बजट मिलने का इंतजार है। मेरठ में अधिकारियो ने इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी है।

कई फीडरों को किया जा रहा है तैयार

स्काडा सिस्टम में बिजली आपूर्ति के लिए किसी भी फीडर की लाइन को दोनों तरफ से सोर्स चाहिए होता है इसके लिए ही शहर में योजना बनाकर कार्य किया जा रहा है। कई फीडरों को आपस में डबल सोर्स की उपब्धता वाला तैयार किया जा रहा है। नवनियुक्त एमडी चैत्रा वी, का कहना है कि वह इस महत्वाकांक्षी प्रस्ताव को दिखवाएंगी और बिजली सुधार के लिए कार्य प्राथमिकता पर कराए जांएगे।

SAI ELECTRICALS

Dealing in:

Transformer & Servo

Sai Dhaam, Vicyoria Park, Meerut-250001

Mob. No.: 7533900800, 9927869400

E-mail: info@saielectricals.com

Website: www.saielectricals.com

यह होता है स्काडा सिस्टम

स्काडा सिस्टम एक रिमोट कंट्रोल आधारित स्वचलित केंद्रीयकृत व्यवस्था है। इसमें अगर एक लाइन में फाल्ट होता है, तो दूसरी तरफ से खुद आपूर्ति शुरू हो जाएगी। पूरा सिस्टम ऑनलाइन केंद्रीयकृत हो जाएगा। इससे फाल्ट का तुरंत पता चल जाएगा। अलर्ट जारी होने, फाल्ट लोकेशन की सही स्थिति की जानकारी से समय की बचत वोल्टेज नियंत्रण होगा। सिस्टम ही से लाइन में खराबी को लेकर अभियंताओं को ऑनलाइन दिशा निर्देश दिए जा सकेंगे।

दिसम्बर तक एकल खिड़की व्यवस्था से जुड़ेंगे सभी राज्य, केंद्रशासित प्रदेश और 32 सरकारी विभाग

सभी राज्य, केंद्र शासित प्रदेश और केंद्र सरकार के 32 विभाग इस साल दिसम्बर तक राष्ट्रीय एकल खिड़की व्यवस्था (एनएसडब्ल्यूएस) से जुड़ जाएंगे। इसके माध्यम से सभी कंपनियां अपने कारोबार के लिए मंजूरी और अनापत्ति प्रमाण पत्र मांग सकेंगी। उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) के सचिव अनुराग जैन ने यहां कहा कि अभी तक 19 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जुड़ चुके हैं। इनमें आंध्र प्रदेश, बिहार, गोवा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर और कर्नाटक आदि शामिल हैं। अनुराग ने भारत-जापान व्यापार सहयोग समिति की संयुक्त बैठक में यह बात कही।इस व्यवस्था से अनुपालन बोझ कम होगा, परियोजना में लगने वाला समय कम होगा तथा कारोबार शुरू करना और उसका परिचालन आसान हो जाएगा

THE RUG REPUBLIC
Live Smart, Buy Right.

Kirti Nagar/Delhi: 2/5, WHS
(150m from Kirti Nagar Fire Station)
Noida: A-32, Sector 63
(Off Nh24, Opp. Indirapuram)
MG ROAD/DELHI: M.G. Road, Ghitorni (Pillar #128)
Live.smart@tfrhome.com / www.tfrhome.com

माह के अंत में शुरू हो जाएँगे रीवेम्प योजना से जुड़े कार्य

मेरठ में रीवेम्पयोजना के माध्यमसे करीब 344 करोड़ रुपये के कार्य होने है। मेरठ जोन में 20 उपकेंद्र भी बनाए जाने है। शहर में जर्जर तार भी बदले जाने है। बृहस्पतिवार को अधीक्षण अभियंता शहर राजेंदर बहादुर ने सभी पांच डिवीजन के अधिकारियो व सबंधित कंपनी के अधिकारियो को जल्द से जल्द कार्य शुरू करने के लिए कहा। उन्होंने बताया कि टेंडर प्रकिर्या पूरी हो चुकी है। इस माह से शहर में कार्य शुरू हो जाएगा। इन कार्यो के होने से उपभोक्ताओं को निबॉध विधुत आपूर्ति मिल सकेगी।

मेडा हो गया मेरठ विकास प्राधिकरण

मेरठ विकास प्राधिकरण अब एमडीए की जगह मेडा (एमईडीए) हो गया है। प्राधिकरण ने मेडा को अंगीकार करते हुए बाहर मेडा का लोगो भी अंकित करा दिया। ने पहली बार ध्येय वाक्य " अक्रमेणानुपायेन कर्मारम्भो न सिंध्यति" को अपनाया है। उपाध्यक्ष अभिषेक पांडेय ने बताया कि ध्येय वाक्य का अर्थ कर्म की शुरुआत अप्रासंगिक साधनों से नहीं होती है। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण, मुज़फ्फरनगर विकास प्राधिकरण, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण तीनो की ही शॉर्ट फार्म एमडीए ही है। ऐसे में मेरठ विकास प्राधिकरणन नोएडा विकास प्राधिकरण की तर्ज पर नेडा की तरह मेडा को अपनाया है मेडा में एम में तीर विकास का संकेत है। दूसरे अक्षर ई में तीर का मतलब रिसाइकिल करना, डी में तीर का आगे बढ़ना व अंतिम अक्षर ए में तीर गलती हो होने पर सीखने की ओर इंगित करता है।

PREMIER LEGGUARD WORKS

Dealing in:
Sports Goods
A-6, Sports Complex, Delhi Road,
Meerut- 250002
E-mail:mail@prcricket.in

भू - उपयोग परिवर्तन पर स्टांप ड्यूटी होगी ख़त्म

ग्रामीण इलाकों में कृषि भूमि का आवासीय, व्यावसायिक और औद्योगिक उपयोग के लिए भू उपयोग परितर्वन कराने पर लगने वाली एक प्रतिशत स्टांप ड्यूटी समाप्त करने की तैयारी है। राजस्व विभाग ने शासन को स्टांप ड्यूटी समाप्त करने का प्रस्ताव भेजा है। कैबिनेट से प्रस्ताव को मंजूरी मिली तो वैश्विक निवेशक सम्मेलन के जरिये यूपी में निवेश करार करने वाले निवेशकों को बड़ी राहत मिलेगी।

प्रदेश सरकार की ओर से निवेशकों को यूनिट स्थापित करने के लिए आवश्यक भूमि उपलब्ध कराने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। उद्यमियों को अपनी औद्योगिक इकाई स्थापित करने के लिए कृषि भूमि का व्यावसायिक उपयोग परिवर्तन कराना पड़ता है। वर्तमान में भूमि का उपयोग परिवर्तन कराने के लिए उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 80 के तहत उप जिलाधिकारी कार्यालय में भूमि की कुल सर्किल रेट का एक प्रतिशत पंजीकरण शुल्क (कोर्ट फीस) राजस्व विभाग को देना पड़ता है।

एक प्रतिशत स्टांप ड्यूटी स्टांप अदा करनी पड़ती है। राजस्व विभाग ने भू उपयोग परिवर्तन के लिए एक प्रतिशत स्टांप ड्यूटी को समाप्त करने का प्रस्ताव भेजा है। जल्द ही इस प्रस्ताव को कैबिनेट में पेश किया जाएगा। कैबिनेट से मंजूरी मिलने पर भू उपयोग परिवर्तन के लिए भूमि की कुल सर्किल रेट एक प्रतिशत पंजीकरण शुल्क (कोर्ट फीस) अदा करनी होगी। एक प्रतिशत स्टांप ड्यूटी समाप्त होने से निवेशकों को लाखों रुपये का फायदा होगा।

- निवेशकों की सुविधा के लिए राजस्व विभाग ने सरकार को भेजा प्रस्ताव

बैंक कर्ज के लिए आवश्यक है भू उपयोग परिवर्तन

हालांकि यदि निवेशक ग्रामीण इलाकों में कृषि भूमि पर भी यूनिट स्थापित करते हैं तो राजस्व विभाग कोई आपत्ति नहीं करता है। लेकिन उद्यमी को यूनिट स्थापित करने के लिए बैंक से ऋण लेना होता है। बैंक भूमि के व्यावसायिक या औद्योगिक भू उपयोग के बिना ऋण देने में

असमर्थता व्यक्त करते हैं। वहीं उद्यमी भी कृषि भूमि का व्यावसायिक या औद्योगिक उपयोग परिवर्तन कराकर बैंक से अधिक से अधिक ऋण लेने का प्रयास करते हैं।

धारा 80 को समाप्त करने का भी विचार

शासन उच्च स्तर पर राजस्व संहिंता की धारा 80 को ही समाप्त करने का विचार किया जा रहा है। प्रदेश में निवेशकों को भू-उपयोग परिवर्तन कराने में परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसके मददेनज़र इस धारा को कोई नया आसान विकल्प लाने पर विचार हो रहा है।

निजी औधोगिक पार्क विकसित करने में मिलेगी मदद

सरकार की ओर से निजी औधोगिक पार्क विकसित करने के लिए नीति लागू की गई है। इस क्षेत्र में निवेश के लिए 2020 करार हुए है। इसके लिए 3,28,076 करोड़ रुपये के निवेश का अनुमान है।

- औधोगिक पार्क के लिए कृषि भूमि को औधोगिक में परिवर्तन कराने में एक फीसदी स्टांप ड्यूटी की बचत होगी। राजस्व विभाग के सचिव प्रभु नारायण सिंह का कहना है कि निवेशक सम्मेलन में करार करने वाले निवेशकों को भू-उपयोग परिवर्तन कराने में कोई दिक्कत न हो इसके लिए खास निगरानी की जा रही है।

सात विभागों की एनओसी सेवा होगी उपलब्ध

मेरठ विकास प्राधिकरण ने तत्काल प्रभाव से एनओसी सेवा प्रारंभ कर दी है। कुल सात विभागों की एनओसी एमडीए के माध्यम से मानचित्र के लिए उपलब्ध होगी। एनओसी के आधार पर मानचित्र स्वीकृत करने में विलंब नहीं होगी। 4 मार्च 2023 को एमडीएवीसी अभिषेक पांडे ने एनओसी सेवा प्रारंभ किये जाने की घोषणा की थी। अब एमडीए की वेबसाइट- https://mdameerut.in/noc-seva.php पर क्लिक करते ही आप से मानचित्र की जानकारी प्राप्त की जाएगी। नाम और मानचित्र नंबर संग किस - किस विभाग की एनओसी चाहिए तो उसे क्लिक करना होगा। अंत में छह अंको का कोड डालने पर आपका आवेदन स्वीकारमान

लिया जाएगा। एमडीए कुल सात विभागों की एनओसी अपनी वेबसाइट के माध्यम से उपलब्ध की बात कर रहा है। दावा है कि एनओसी की यह औपचारिकता सात दिनो में प्राप्त होगी।

- मेरठ विकास प्राधिकरण की वेबसाइट पर शुरू हो गई एनओसी सेवा
- वेबसाइट पर एनओसी सेवा को क्लिक कर आवेदन करें

इन विभागों की मिलेगी एनओसी

एमडीम प्रशासन , नगर निगम, अग्निशमन, जिला उधोग केंद्र, एनएचआई, पीडब्ल्यूडी , प्रदूषण

Textile Park to come up in Lucknow under PM MITRA scheme

Lucknow, Feb 15 The Uttar Pradesh cabinet approved the setting up of a textile park near Lucknow under the Prime Minister Mega Integrated Textile Region and Apparel Scheme (PM MITRA).

Around 1,000 acre land will be transferred free of cost to the department of handloom and textiles for setting up the park. Nearly 903 acre land from Lucknow and 259 acre from Hardoi will be utilized for setting up the park, an official release said.

As per the official statement, a total of Rs 10 crore investments will be needed for the project.51 per cent of the investment will be borne by the state government and the remaining 49 per cent by the Centre.

A special purpose vehicle (SPV) will be set up for the textile park. The special purpose vehicle will be set up under the Company Act, 2013. The additional chief secretary or principal secretary of the textile department will be its CEO while secretary, textiles, government of India, will be its chairperson.

After the SPV is set up, a master developer will be selected and the park will be developed on private-public partnership (PPP) mode. The project is expected to cost Rs 1,200 crore.

Another proposal approved by the cabinet included a proposal to revise the rates of land to be purchased with mutual consent fr0m landowners in the YEIDA area.

CBDT notifies ITR forms for FY24 w.e.f. Apr 1

The Central Board of Direct Taxes (CBDT) has notified Income-tax Return Forms (ITR Forms) for the Assessment Year 2023-24 vide Notifications No. 04 & 05 of 2023 dated February 2, 2023 and February 14, 2023.

These ITR forms will come into force from April 1, 2023 and have been notified well in advance in order to enable filing of returns from the beginning of the ensuing Assessment Year.

No significant changes have been made to the ITR Forms in comparison to last year's ITR Forms in order to facilitate the taxpayers and to improve ease of filing.

Only the bare minimum changes necessitated due to amendments in the Income-tax Act, 1961 (the 'Act') have been made.

ITR Form 1 (Sahaj) and ITR Form 4 (Sugam) are simpler Forms that cater to a large number of small and medium taxpayers.

Sahaj can be filed by a resident individual having income upto Rs 50 lakh and who receives income from salary, one house property, other sources (interest etc.) and agricultural income upto Rs 5,000.

Sugam can be filed by individuals, Hindu Undivided Families (HUFs) and firms (other than Limited Liability Partnerships (LLPs)) being a resident having total income upto Rs 50 lakh and income from business and profession computed under sections 44AD, 44ADA or 44AE.

Individuals and HUFs not having income from business or profession (and not eligible for filing Sahaj) can file ITR Form 2 while those having income from business or profession can file ITR Form 3.

Persons other than individuals, HUFs and companies i.e. partnership firms, LLPs etc. can file ITR Form 5.

Companies other than companies claiming exemption under section 11 can file ITR Form 6. Trusts, political parties, charitable institutions, etc. claiming exempt income under the Act can file ITR Form 7.

The notified ITR Forms will be available on the Department's website at www.incometaxindia.gov.in.

Noida Airport cargo hub aims to unlock logistics potential of Western UP

Air India SATS (AISATS) has been chosen to develop a multi-modal cargo hub (MMCH) for the Noida International Airport (NIA).

The upcoming cargo hub will be spread across 80 acres of land and will provide quick, convenient and intermodal connectivity to and from manufacturing hubs in the country.

Creating a cargo gateway for Northern India, the cargo and logistics infrastructure and ecosystem will cater to a differentiated catchment and several upcoming industrial clusters in NCR and Uttar Pradesh.

"We are convinced that our novel approach to plan and develop a multi-modal cargo hub with integrated facilities and seamless processes will support the cargo and logistics industry in North India," said NIA, CEO, Christoph Schnellmann.

Union Budget FY24 has given impetus to fund-starved sector: MSME Secy Swain

A much needed boost has been given to the fund-starved, MSME sector in the union budget 2023-34 by enabling higher credit flow and simplifying compliances, said B B Swain, Secretary to the Union Ministry of MSME.

According to a report by PTI, he assured that the centre is acknowledging the contribution of MSMEs in the country's economic growth.

He was addressing the launch of the ongoing three-day Indian Foundry Congress (IFC) and India Foundry Equipment Exhibition (IFEX) which will conclude today at the India Expo Centre in Greater Noida.

Swain highlighted the prime challenges of the MSME sector such as availability, accessibility and affordability of credit/funds.

"The government has acknowledged the contribution of MSMEs to the economic growth of the country. Union Budget 2023-24 has given a boost to the fund-starved sector with higher credit flow and by simplifying compliances," Swain said.

Citing the launch of a revamped credit guarantee scheme worth Rs 9,000 crore for MSMEs in the Budget 2023, he said that it would enable collateral-free credit of Rs 2 lakh crore loans to small businesses.

GeM platform to validate all BIS licences of sellers

Government e-Marketplace (GeM) is in process of validating all kind of BIS licence like CRS, MANAK and FMCS through the online information being provided by Bureau of Indian Standards (BIS).

It has brought to the attention of sellers that they need to ensure that BIS licence information are correct and valid in case their product is having BIS licence and they have indicated the same on the GeM portal.

"Please take a note of this and take remedial action once the feature is launched," said the online platform for public procurement.

GeM will soon release a new feature to update the BIS license numbers in the catalogues where it is mandatory/ voluntary.

SARU COPPER ALLOY SEMIS PVT. LTD.

Manufacturer & Exporters of:

Continuous Cast Cold Drawn Copper Alloy Rods & Bars in Sizes upto 160 mm to all National and International Specifications in Standard Length of 3 mt.

Saru Nagar, Sardhana Road, Meerut- 250001
Ph. No.: 0121-2556279, 2554126, 2554160
Fax: 0121-2558402
Email: sales@sarucopper.com, info@sarocopper.com
Website: www.sarucopper.com

MSME Ministry possess no data of raw material price effect on MSMEs

Shri Bhanu Pratap Singh Verma, Minister of State for MSMEs informed Lok Sabha on Thursday that the MSME Ministry does not maintain any data with regards to the effect of raw material prices on production or aggregate demand of MSME products.

This was the minister's response to a question on whether the government is aware of the price of raw materials such as metals, plastics, etc., for MSMEs. And if so, whether the raw material prices have affected MSMEs' production.

In his response, the MoS highlighted the various measures initiated by the government for raw material support to MSMEs such as providing financial assistance under the Raw Material Assistance (RMA) Scheme of National Small Industries Corporation Limited (NSIC).

He also noted the exemption on basic custom duty on steel scrap till March 31, 2023, TMT bars below 8 mm exempted from the purview of the Quality Control Order and waived off import duty for several raw materials like coking coal, ferro-nickel etc.

Nipro PharmaPackaging is now Great Place to Work certified!!

Nipro PharmaPackaging India is part of Nipro Corporation Japan. Nipro, a global healthcare company employs over 35k colleagues and has a culture of high performance, customer focus, and employee engagement. This has led Nipro PharmaPackaging India to being awarded with the certificate of the **Great Place to Work – Oct' 22 – Oct'23**. In addition to the above achievement, Nipro PharmaPackaging India has now earned its recognition as being one of the **top 50 "India's Best Workplaces in Manufacturing 2023".**

Ashish Moghe, the Managing Director of Nipro in India, states, "Nipro's dedication to investing in its workforce is a key factor in its success. In 2022, Nipro PharmaPackaging India gathered further pace in the last year and crossed a few milestones. One such milestone was getting certified as a Great Place To Work! The Great Place to Work® Certification Program is the first step for an organization on its journey of building a High-Trust, High-Performance Culture™ and our organization has successfully accomplished this milestone.

To continue the same path of progress and development for us as individuals and as an organization we also enrolled ourselves for assessment for yet another prestigious certification, which is TOP 50India's Best Workplaces in Manufacturing 2023. This year, 201 organizations in the Manufacturing sector undertook this assessment. All these organizations underwent a rigorous assessment. The results are finally out, and it gives me an immense amount of joy and pride to share that both plants of Nipro PharmaPackaging India (Meerut & Pune) HAVE WON THIS CERTIFICATION!!

I feel honoured to be a part of such a fantastic team. Looking forward to creating many more milestones"

"We are thrilled to receive the recognition as **India's Best Workplaces in Manufacturing 2023**. We are committed to fostering an environment of transparency, teamwork, and participation. Our organization promotes bonding among colleagues and encourages continuous improvement.Our team takes pride in working for a Great Place to Work certified company, and this recognition not only attracts top talent but also builds loyalty among our employees. The Trust Index study conducted by Great Place to Work provides valuable insights for us to improve as an organization. We strive to be an employer of choice and this recognition is a testament to our efforts.", states Mr. Juned Akhtar(General Manager- Human Resource, Nipro PharmaPackaging India Pvt. Ltd.

MSMEs promised under budget

PM Modi reminds banks of their duty to provide adequate finance to MSMEs promised under budget

Hon'ble Prime Minister of India on 7-3-2023 highlighted the importance of banks reach reaching out to MSMEs and providing them with adequate finance which would ensure effective utilisation of the additional collateral-free guaranteed credit of Rs 2 lakh crore allotted in this year's budget.

Addressing a Post Budget Webinar on the subject of 'Enhancing Efficiency of the Financial Services for Creating Growth Opportunities, he said the need of the hour is that the benefits of the strength in India's banking system should reach the maximum number of people.

He asked the banking system to reach out to the maximum number of sectors.

The Prime Minister pointed out that the Government's policies related to Financial Inclusion have made crores of people part of the formal financial system.

He called upon the stakeholders to re-engineer all the processes to reduce the cost and increase the speed of credit so that it reaches the small entrepreneurs quickly.

It is the tenth of a series of 12 post-budget webinars organised by the government to seek ideas and suggestions for effectively implementing the initiatives announced in the Union Budget 2023.

Addressing the gathering, the PM said that the government is paving the way for collective ownership and equal partnership in the implementation of the budget through these Post Budget Webinars where the views and suggestions of stakeholders hold utmost importance.

He also highlighted that India is presiding over G-20 and also attracted the highest FDI in the country in the year 2021-22. The Prime Minister noted that a major part of this investment has taken place in the manufacturing sector.

The PM emphasized that applications are continuously pouring in to avail of the PLI scheme which makes India an important part of the global

supply chain. The Prime Minister urged everyone to take full advantage of this opportunity.

Touching upon the issue of ‘Vocal for Local’ he said that this is not a matter of choice but “Vocal for local and vision of self-reliance is a national responsibility.”

He noted the tremendous enthusiasm for Vocal for Local and Aatmnirbharta in the country and talked about increased domestic production and record growth in exports.

“Our exports have been at an all-time high, whether in goods or services. This indicates growing possibilities for India,” the PM said and asked the stakeholders like organizations and Chambers of Industry and Commerce to take up the responsibility to promote local artisans and entrepreneurs up to the district level.

Concluding the address, he stated that the benefits of India's economic development should reach every class and person and urged all stakeholders to work with this vision.

XXXXXXXXX